


92



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

II/किरानी/विदिशा/भू र/ 2017/6117 प्र0कं0...../17

की प्रतीति
क.प्र. भू. म. भोपाल
केम्प 4/12/17
13-12-17

- (1) करन सिंह आ0श्री चैन सिंह
- (2) तूफान सिंह आ0श्री करन सिंह
- (3) गुमान सिंह आ0श्री करन सिंह
- (4) बटन सिंह आ0श्री करन सिंह
- (5) कमल सिंह आ0श्री चैन सिंह

समस्त निवासीगण-ग्राम मसूड़ी,
तहसील-लटेरी,
जिला-विदिशा (म0प्र0) ---- निगरानीकर्तागण
विरुद्ध

कुंजीलाल आ0श्री चैन सिंह
निवासी-ग्राम मसूड़ी,
तहसील-लटेरी,
जिला-विदिशा (म0प्र0) ---- प्रतिनिगरानीकर्ता

म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल
संभाग भोपाल के प्र0कं0-481/अपील/15-16 में पारित आदेश
दिनांक 30.11.2017 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर यह निगरानी
निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मसूड़ी का
खसरा नं0-314/1, खसरा नं0-18/2, खसरा नं0-105, खसरा
नं0-224 कुल किता 4 कुल रकबा 8.776 हे0 एवं खसरा नं0-179,
खसरा नं0-180, खसरा नं0-39, खसरा नं0-44, खसरा
नं0-45/1 कुल किता 5 कुल रकबा 3.461 हे0 भूमि का सभी
पक्षों की सहमति के आधार पर नामांतरण पंजी कं0-14 पर आदेश

निरंतर...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / विदिशा / भू.रा. / 2017 / 6117

जिला – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४/१२/१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकों को हितबद्ध पक्षकार होते हुए उनकी बिना जानकारी के पंजी को प्रमाणित किया गया है तथा पंजी पर ही आपसी सहमति एवं कब्जे के आधार पर बंटवारा किया गया है जबकि नामांतरण पंजी पर बंटवारा किये जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	